

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2024/100206

दिनांक:- 13.12.2024

कार्यालय आदेश

न्यास द्वारा निजी खातेदारी में अनुमोदित आवासीय योजना "लालजी विहार आवासीय योजना" राजस्व ग्राम सबलपुरा तहसील धोद के खसरा नं. 1266/1155 रकबा 0.2250 हैक्टर व खसरा नं. 1264/1155 रकबा 0.4500 हैक्टर व खसरा नं. 1265/1155 रकबा 0.4500 हैक्टर कुल रकबा 11030.20 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) में राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भू-खण्ड संख्या 45, 46 व 47 को अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण करने, चार्टर्ड इंजिनियर की तकनीकी रिपोर्ट उपरान्त न्यास स्तरीय कमेटी की अभिशंषा तथा सीवरेज एवं ड्रेनेज की राशि जमा कराये जाने पर एतद्वारा उपरोक्त रहन रखे गये भू-खण्डों को रहनमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्त के अध्यक्षीन प्रदान की जाती हैं।

शर्त:-

- विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
- बोरिंग/ ट्यूबवेल/ पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
- योजना में विद्युतिकरण का कार्य State Electricity Agency or National Building code के प्रावधानानुसार ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

(जगदीश प्रसाद गौड़ RAS)

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2024/

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 13.12.2024

- संबंधित विकासकर्ता।
- उप नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय हाजा।

(जगदीश प्रसाद गौड़ RAS)

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

Signature valid

RajKaj Ref
12437046



Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2024.12.13 17:30:59 IST
Reason: Approved